न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री भरत राज गुर्जर)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 37/2023

1. फूल सिंह गंवारिया पुत्र विष्णु कुमार गंवारिया, जाति गंवारिया निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर, राजस्थान
2. रामस्वरूप पुत्र भागीरथ जाति भांबी निवासी ग्राम मोतीपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः— श्री त्रिलोक जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 04.08.23

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 1593 रकबा 0.42 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. **1592** का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीगण को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौड़ा रास्ता नियानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 1592 में से प्रार्थीगण को रास्ता तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस संबंध में प्रार्थीगण ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 1593 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 1592 में से होकर ही जाता है खसरा नं. 1592 डी.एल.सी. दर 206290/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 1592 में से 110 वर्ग मीटर (12 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौडा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20.63 रू. प्रति वर्ग मीटर राशि 4540/—रू. मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थीगण द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थीगण खातेदारान के लिए ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 1592 में से 110 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1593 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शें में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर)

04.08.23

(भरत राज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज